(Minutes)

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा

Website : www.vmou.ac.in

70 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण (Minutes)		
स्थल	:	कुलगुरू सचिवालय (मीटिंग हॉल)
दिनांक	:	23.12.2025
समय	:	12.15 (दोपहर)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

वित्त समिति की 70 वीं बैठक

23 दिसम्बर, 2025

<u>कार्यवाही विवरण</u>

वित्त समिति की 70 वीं बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 समय 12:15 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कुलगुरूसचिवालय के समिति कक्ष में माननीय कुलगुरू महोदय, प्रो. बी.एल. वर्मा की अध्यक्षता में (ऑफलाईन/ऑनलाईन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो. बी.एल. वर्मा कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	*प्रमुख शासन सचिव,* वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (अथवा प्रतिनिधि।)	सदस्य
3	*प्रमुख शासन सचिव* उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। (अथवा प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5.	प्रो. बी. अरूण कुमार सदस्य प्रबंध मण्डल एवं निदेशक, योजना विकास एवं संकाय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6.	प्रो. कमल कुमार मिश्रा (सेवानिवृत प्रोफेसर) 34, कल्याण कुंज कोलोनी, कांता चौराहा कलवाड़ रोड झोटवाड़ा, जयपुर।	सदस्य
7.	डा0 पुरवा अग्रवाल वित्त नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव

V.M.O.U.

बैठक में प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार अथवा प्रतिनिधि को ई–मेल से दिनांक 15.12.2025 को एवं दूरभाष के द्वारा सूचित किया गया था जिसमें वह अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके।

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.(3)वित्त/व्यय–1/2020 दिनांक 06 जुलाई 2020 के की आज्ञा के क्रम में श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय को पत्रांक वमखुवि/लेएवंवि/2025/2942 दिनांक 15.12.2025 को सूचित कर दिया गया था, जिसके क्रम में श्रीमान संभागीय आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में श्री रोहित दीक्षित, मुख्य लेखाधिकारी, चंबल विकास प्राधिकरण, कोटा बैठक में सम्मिलित हुए।

सर्वप्रथम माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा वित्त समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने के लिए वित्त समिति के सचिव (नियंत्रक, वित्त) को आग्रह किया गया। तत्पश्चात् नियंत्रक वित्त द्वारा कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु संख्या 70/01:– **वित्त समिति की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न 69वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

–00–

वित्त समिति की 69 वीं बैठक दिनांक 28-02-2025 को कुलगुरू सचिवालय में माननीय कुलगुरू महोदय डा. कैलाश सोडानी वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, कोटा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक कार्यवाही विवरण सभी माननीय सदस्यगणों को जर्ये मेल द्वारा प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में किसी भी माननीय सदस्य गण से असहमति संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई। उक्त कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल की 112 वीं बैठक (बिन्दु संख्या 112/03 पर) अनुमोदित किया जा चुका है।

सदन द्वारा कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 70/2 :– **वित्त समिति की 69वीं बैठक दिनांक 28.02.2025 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।**

–00–

वित्त समिति की 69 वी बैठक दिनांक 28.02.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपार्ट का अवलोकन किया गया व संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु संख्या 70/3 :– **विश्वविद्यालय की आय /प्राप्तियों के वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026–27 हेतु संभावित प्राप्ति अनुमान।**

(लेखा एवं वित्त विभाग)

–00–

प्रस्ताव :– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आय का अनुमान राशि रूपये 11400.00 लाख रखा गया था, जिसके विरूद्ध दिनांक 30.11.2025 तक राशि रूपये 9601.88 लाख की आय/प्राप्तियां हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष संभावित आय को दृष्टिगत रखते हुये राशि रूपये 12610.19 लाख का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्राप्तियों में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रूपये 500.00 लाख भी सम्मिलित है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये संभावित आय/प्राप्ति के दृष्टिगत राशि रूपये 12440.80 लाख का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली आयोजना भिन्न मद में संभावित अनुदान राशि रूपये 400.00 लाख समाहित है।

उक्त प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– समिति सचिव द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान दिनांक 30.11.2025 तक की वास्तविक प्राप्तियों/आय के बारे में जानकारी दी गयी। समिति द्वारा चालू वर्ष एवं आगामी वर्षों में छात्रों की प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या, कोर्स अपडेशन, नये कोर्स प्रारंभ कर फीस राशि बढ़ाये जाने का प्रयास किये जाने का सुझाव दिया गया।
चर्चा उपरान्त सदन द्वारा आय/प्राप्तियों के वित्तीय वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026–27 के सम्भावित अनुमानों पर अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 70/4 :– **विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2025–26 के संशोधित व्यय अनुमान (RE) एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय अनुमान (BE) के संबंध में।**

(लेखा एवं वित्त विभाग)

–00–

प्रस्ताव :– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये राशि रूपये 11242.66 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 30.11.2025 तक राशि रूपये 6952.69 लाख व्यय हो चुका है। अतः शेष अवधि में संभावित व्यय/ समायोजन को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये संशोधित व्यय राशि रूपये 12042.13 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये संभावित व्यय को मध्यनजर रखते हुए राशि रूपये 11993.50 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2026–27 की संभावित प्राप्तियों /आय के अध्ययधीन है।

उक्त प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– नियंत्रक (वित्त) द्वारा सदन को वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक हुए व्यय तथा शेष अवधि में संभावित व्यय के मध्यनजर प्रस्तावित संशोधित प्रावधान (RE) एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये संभावित व्यय के दृष्टिगत प्रस्तावित बजट प्रावधान (BE) के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 प्रस्तावित संशोधित प्रावधान (RE) एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये संभावित व्यय के दृष्टिगत प्रस्तावित बजट प्रावधान (BE) संभावित प्राप्तियों /आय के सीमान्तर्गत होने के कारण प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

बिन्दु संख्या 70/5 :– **विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के अंशकालीन कार्मिकों के मानदेय को बढाने एवं नवीन दरें लागू बावत् प्रस्ताव।**

(क्षेत्रीय सेवाएं प्रभाग)

–00–

प्रस्ताव :– माननीय कुलगुरू महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय सेवाएं प्रभाग, कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ./वमखुवि/क्षे.से. प्र./ 2025/1823 दिनांक 20 अगस्त, 2025 की अनुपालना में इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली द्वारा अध्ययन केन्द्रों को भुगतान किये जा रहे मानदेय एवं अन्य चार्जेज के आलोक में समीक्षा कर विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के अंशकालीन कार्मिकों के मानदेय को बढ़ाने एवं नवीन दरें निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 31.10.2025 को आयोजित की गई, उक्त बैठक में समिति सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नवीन मानदेय दरें सलंग्न बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार निम्नानुसार है, जिन्हें 01 जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है:–

S. No.	Head of payment/ Account	Approved Rate Since 2012 of IGNOU	Present Rate of VMOU Since 2016	New Praposal Rate by VMOU
1	Honorarium of Chief Coordination (P.M.)	4500	1500	2500
2	Honorarium of Coordination (P.M.)	6000	1400	2400
3	Honorarium of Asstt. Coordination (P.M.)	4200	1100	1900
4	Honorarium of Asstt./ Office Asstt./LDC (P.M.)	3600	800	1350
5	Honorarium of Attendent/ Library Asstt. (P.M.)	2400	800	1350
6	Honorarium of Cl.IV/ Safaiwala (P.M.)	2000	550	950

निर्णय :— समिति द्वारा विचार—विमर्श उपरान्त अध्ययन केन्द्रों के अंशकालीन कार्मिकों के मानदेय को बढ़ाने एवं नवीन दरें 01 जनवरी 2026 से लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही उक्त दरों को प्रत्येक तीन वर्ष पर समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।
अध्ययन केन्द्रों हेतु जलापूर्ति, भवन एवं विद्युत चार्जेज व कटिंजेंसी चार्जेज बढाये जाने के संबंध में विचार—विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि अभी वर्तमान में जारी व्यवस्था निरन्तर रखा जाए व प्रकरण में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर उचित व युक्तियुक्तता के क्रम समीक्षा कर वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

बिन्दु संख्या 70/06 :— अग्रिम आहरण बाबत् सक्षमता तथा स्वीकृति हेतु प्रावधान।

—00—

प्रस्ताव : — वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, जिसमें विभिन्न परीक्षा कार्यों हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों को अग्रिम भुगतान, सेमिनार, कांफ्रेंस, बैठकों, प्रिंटिंग इत्यादि कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अग्रिम की आवश्यकता रहती है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों भाग प्रथम के परिशिष्ट 'अ' भाग द्वितीय के नियम 67 व भाग तृतीय में अग्रिम आहरण हेतु शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हैं। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्णतः विश्वविद्यालय की अग्रिम आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधान नहीं है तथा राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्यालय अध्यक्ष, प्रादेशिक अधिकारी विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग के स्तरों पर है।

विशिष्ठता उल्लेखित नहीं है यद्यपि विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा, व्यय, वार्षिक लेखे, निवेश, स्थायी परिसम्पतियों आय व वित्तीय दायित्वों का निर्वहन तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखना वित्त नियंत्रक के दायित्वो में उल्लेखित किया गया है। ACT के अन्य किसी भी Section में भी उक्त के क्रम में वर्णित नहीं है। राज्य सरकार के GF&AR Pt III में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन है, जिसमें चार स्तरों H.O., R.O.,HOD व प्रशासनिक विभाग पर वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं। चूंकि विश्वविद्यालयी संरचनागत उक्त प्रकार का प्रत्यायोजन संभव नहीं है व विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार समस्त वित्तीय प्रकरण वित नियंत्रक के दायित्वाधीन हैं। विभिन्न व्ययों हेतु प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत् प्रत्यायोजन विश्वविद्यालय परिनियमों में वर्णित नहीं है अतः विश्वविद्यालय कोष से व्यय के क्रम में निम्न प्रकार वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने की सक्षमता हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

क.सं.	सक्षम अधिकारी	सक्षमता
1.	नियंत्रक वित्त	5.00 लाख रू. तक
2.	माननीय कुलगुरू	5.00 लाख रू. से अधिक

नोटः— 5.00 लाख रू. से अधिक वित्तीय स्वीकृतियॉ माननीय कुलगुरू महोदय के अनुमोदन उपरान्त नियंत्रक वित्त द्वारा जारी की जा सकेगी।

वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व बजट प्रावधान, व्यय की युक्ति युक्तता, दरों बाबत् समीक्षा व अन्य आवश्यक जॉच पश्चात ही स्वीकृतियॉ जारी की जा सकेगी। वस्तु, सेवाओं, कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृतियां वित्तीय नियमों में व उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही जारी की जा सकेंगी। प्रत्येक पृथक प्रस्ताव हेतु पृथक स्वीकृति जारी होगी, समान प्रकृति के प्रस्तावों पर व्यय हेतु प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति अपेक्षित होगी तथा पूर्व वर्ष में जारी की गई स्वीकृति वर्तमान वर्ष के प्रस्ताव हेतु मान्य नहीं होगी।

स्वीकृति की समय सीमा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग प्रथम) नियम 70 से 73 के अनुसार निम्नानुसार होगीः—

नियम 70 स्वीकृति कब प्रभावी होगीः— सभी स्वीकृतियॉ उनके जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगी जब तक कि कोई अन्य तारीख जिससे वे प्रभाव में आयेंगे उसमें विनिर्दिष्ट न की जाये।

नियम 71 वेतन आदि के संशोधन को भूतलक्षी मंजूरीः— अधिकारियों/कर्मचारीयों को वेतन के संशोधन या रियायतों की मंजूरी से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियों को तीन वर्ष से अधिक का भूतलक्षी प्रभाव

विश्वविद्यालय में संरचनात्मक भिन्नता होने के कारण अग्रिम स्वीकृतियों की सक्षमता बाबत् प्रावधान किया जाना भी आवश्यक है।

विश्वविद्यालय आवश्यकता के क्रम में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार अग्रिम स्वीकृति जारी की जा सकेगी एवं प्रावधान उपलब्ध न होने पर प्राप्त अग्रिम प्रस्ताव निम्न आधारों पर परीक्षण किया जाकर अग्रिम स्वीकृत किया जावे :–

1. अग्रिम हेतु तत्काल भुगतान आवश्यकता व अनिवार्यता होना आवश्यक है। यह सुविधा के लिए आहरित नहीं किया जा सकेगा।
2. प्रत्येक अग्रिम प्रस्ताव पर अग्रिम राशि का Cost break up/ Cost Components प्रस्तुत करने होंगे तथा पूर्व वर्ष के व्यय का ब्यौरा संलग्न करना होगा।
3. अग्रिम का समायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों भाग प्रथम के नियम 219, 220 के अन्तर्गत अधिकतम 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. अग्रिम आवश्यक व्यय का शत–प्रतिशत न दिया जाकर, आंशिक, उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति पर किया जायेगा।

अग्रिम स्वीकृत करने की पूर्ण सक्षमता माननीय कुलगुरू महोदय में निहित होगी व उपरोक्त बिन्दुओं की पालना बाबत् नियंत्रक (वित्त) शाखा से परीक्षण आवश्यक होगा। प्रस्तावक द्वारा बिना परीक्षण अग्रिम स्वीकृत करवाया जाना वसूलनीय होगा।

निर्णय :– नियंत्रक (वित्त) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरांत उक्तानुसार तथा विश्वविद्यालय स्तर से स्वीकृत अग्रिमों का समायोजन अग्रिम आहरण के 3 माह के अंदर कर लिया जाये एवं परीक्षा विभाग से संबन्धित स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में अग्रिम का समायोजन परीक्षा तिथि समाप्ति के 3 माह की अवधि में किया जाना चाहिये बावत् निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 70/7 :– **विश्वविद्यालय की वित्तीय स्वीकृतियों बाबत् सक्षमता निर्धारण हेतु प्रस्ताव।**

(लेखा एवं वित्त विभाग)

—00—

प्रस्ताव :– VMOU ACT 1987 NO. 35,1987 के Section 15 अन्तर्गत वित्त नियंत्रक की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने की सक्षमता

नहीं दिया जायेगा। यदि इससे ज्यादा लम्बी अवधि के लिए इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना हो तो इस सिद्धान्त में शिथिलीकरण किये जाने के कारणों को पत्रावली में तथा स्वीकृति में भी अभिलिखित किया जायेगा।

नियम 72:— किसी भी नए प्रभार की स्वीकृति, जब तक कि विशेष रूप से वह नवीकृत न की जाए, व्यपगत (लैप्स) हो जायेगी यदि सम्पूर्ण या आंशिक भुगतान स्वीकृति जारी करने की तारीख से बारह माह की अवधि के भीतर नहीं किया गया हो।

नियम 73:— नियम 72 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सामान्य योजना के अधीन वर्ष—दर—वर्ष स्थायी स्थापन कर्मचारियों की वृद्धि के सम्बन्ध में अथवा किसी पद के लिए या सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए स्वीकृत भत्तों, जो उनके द्वारा आहरित नहीं किए गए है, के लिए स्वीकृति व्यपगत नहीं होगी।

निर्णय :— विश्वविद्यालय के वित्तीय स्वीकृतियों एवं सक्षमता निर्धारण प्रस्ताव क्रम में प्रो. कमल कुमार मिश्रा, प्रबन्ध मण्डल मनोनीत सदस्य द्वारा कमेटी गठन कर प्रस्ताव पर विमर्श व अनुशंषा हेतु कहा गया जिस पर वित्त नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक को वित्त से संबंधित समस्त कार्य, वित्तीय अनुशासन, आय—व्यय एवं समस्त वित्तीय मामलों में कार्यकारी सक्षमता प्रदान की गई है, बाबत् कहा गया तथा अधिनियम को अधिक्रमित करके कमेटी के सुझाव मान्य नहीं होंगे, बाबत् उल्लेखित किया गया। वित्तीय सक्षमता अन्य को प्रत्यायोजित किया जाना अधिनियम अन्तर्गत प्रावधान नहीं है व समस्त पदाधिकारियों के कार्य व दायित्व अधिनियम में वर्णित है। अतः उक्त प्रस्ताव पर कमेटी गठन बाबत् अन्तिम निर्णय हेतु माननीय कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया है विश्वविद्यालय के अधिनियम अनुसार वित्तीय निर्णय लिए जावें।

बिन्दु संख्या 70/8 :— **विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (Balance Sheet) वित्तीय वर्ष 2024—25 अवलोकन के संबंध में।**

(लेखा एवं वित्त विभाग)

—00—

प्रस्ताव :— विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024—25 के मैसर्स सीए धर्म मितल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे (Balance Sheet) समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :— समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

टेबल एजेन्डा

70.09.01 **67 वी वित्त समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 67/6 के कम में विश्वविद्यालय में कय किये जाने वाले सर्वर की अनुमानित लागत राशि रू. 200.00 लाख से बढाकर राशि रू. 300.00 लाख अतिरिक्त कर किये जाने हेतु प्रस्ताव ।**

—00—

प्रस्ताव :— विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में स्थापित सर्वर अपनी end of life पूर्ण कर चुका है। नये सर्वर राशि रू. 200.00 क्रय करने के लिए संस्तुति हेतु वित्त समिति की 67 वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 की पालना में इस कार्यालय के आदेश सं. VMOU/ IT&EMPC/ 840 दिनांक 01.08. 2024 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर नया सर्वर क्रय करने हेतु राशि 200.00 लाख की निविदा VMOU/S&P/2025-26/09 दिनांक 24.06.2025 आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा में प्री—विड मीटिंग दिनांक 14.07.2025 में सम्भावित निविदादाताओं द्वारा निविदा की अनुमानित राशि रू. 200.00 लाख प्रचलित बाजार दरों के अनुसार कम बताई जाकर, न्यूनतम राशि रू. 300.00 लाख किये जाने के अभिमत व लिखित अभ्यावेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित किए गये। उक्त निविदा प्रक्रिया में निविदादाताओं के भाग नहीं लिये जाने के कारण चूंकि राशि रू. 200.00 लाख 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत थी एवं तत्समय भी राशि न्यून रही व जानकारी प्राप्त करने पर राशि रू. 200.00 लाख अल्प ज्ञात हुई तथा इसे संशोधित किया जाकर राशि रू. 300.00 लाख एवं जीएसटी अतिरिक्त बाबत् सिद्धांतः स्वीकृति प्रस्तावित है व निविदा प्रक्रिया DOIT से अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशों के क्रम में RTPP नियमानुसार प्रकाशन कर e-Proc के माध्यम से क्रय किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष टेबल ऐजेण्डा के रूप में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :— समिति द्वारा विचार—विमर्श उपरांत चालू वित्तीय वर्ष/आगामी वर्ष में एव नया सर्वर राशि रू. 300.00 जीएसटी अतिरिक्त के क्रय का अनुमोदन प्रदान किया गया।

70.09.02 **आर.एस.सी.आई.टी परीक्षा में पर्यवेक्षक के पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने बाबत्।**

—00—

कार्यालय आदेश क्रमांक 1567 दिनांक 01.02.2019 के क्रम में पूर्व में आर. एस. सी आई. टी परीक्षा हेतु पारिश्रमित दरों में संशोधन कर नवीन दरों का निर्धारण किया गया था। परन्तु संदर्भित आदेश में परीक्षा में लगाये जाने वाले पर्यवेक्षकों की पारिश्रमिक दरों को नहीं बढ़ाया गया था। पर्यवेक्षकों को वर्तमान में कार्यालय आदेश क्रमांक 31508–14 दिनांक 26.04.2014 के अनुसार राशि रू. 500/– प्रतिदिन कुल दो दिवस के लिये कुल राशि रू. 1000/– मय स्थानीय यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है । इस दर में वृद्धि के लिये समय–समय पर विश्वविद्यालय मुख्य पर्यवेक्षकों को निवेदन किया जाता है। अतः पर्यवेक्षकों की पारिश्रमिक दरों में निम्न संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:–

पद	पूर्व में निर्धारित पारिश्रमिक दरें	नवीन प्रस्तावित पारिश्रमिक दरें।
पर्यवेक्षक	राशि रू. 500/– प्रतिदिन कुल दो दिवस के लिये राशि रू.1000/– मय स्थानीय यात्रा भत्ता	राशि रू. 600/– प्रतिदिन कुल दो दिवस के लिये राशि रू. 1200/– मय स्थानीय यात्रा भत्ता

उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आर.एस.सी.आई.टी परीक्षा हेतु निम्नानुसार मानदेय निर्धारित किया गया :–

पद	पूर्व में निर्धारित पारिश्रमिक दरें	नवीन प्रस्तावित पारिश्रमिक दरें।
पर्यवेक्षक	राशि रू. 500/– प्रतिदिन कुल दो दिवस के लिये राशि रू. 1000/– मय स्थानीय यात्रा भत्ता	राशि रू. 600/– प्रतिदिन कुल दो दिवस के लिये राशि रू. 1200/– मय स्थानीय यात्रा भत्ता

यह दरें आगामी आर.एस.सी.आई.टी परीक्षा से लागू होगी।

आसन के धन्यवाद ज्ञापन से साथ बैठक सम्पन्न हुई।

नियंत्रक वित्त एवं
सचिव वित्त समिति